भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696

पत्र सं0 2–840 / यू0पी0 / एस0ए0जी0 / 2008–10 / एफ0सी. 1903

दिनॉक : 29.10.2012

सेवा में ,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक जो कि दिनांक 05.11.2012 को प्रातः 11:00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों को सम्मिलित किया जायेगा।

कम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या	टिप्पणी
1.	जनपद मिर्जापुर में अदवा बैराज निर्माण डूब क्षेत्र में पड़ने वाली 27.19 हे0 आरक्षित वन भूमि पर खड़े 16683 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में	मिर्जापर	27.19	8बी / यू0पी0 / 02 / 84 / 12 एफ0सी0	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 19.09.2012 द्वारा चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना साथ में अवश्य लायें।
2.	जनपद जे0 पी0 नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 से हापुड़ मुरादाबाद खण्ड के किमी0 92.800 से 93.200, 99.800 से 99.900, 101.100 से 101.600 एवं 102.360 से 104.700 (गजरौला चौपले) तक बांयी पटरी पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 6.925 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 630 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में	जे0 पी0 नगर	6.925	8बी / यू0पी0 / 06 / 48 / 12 / एफ0सी0	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 29.05.2012 द्वारा चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना साथ में अवश्य लायें।
3.	जनपद ललितपुर के ग्राम–खुरा के आराजी संख्या–63 / 2 रकबा 4.427 हे0 तथा आराजी संख्या– 158 / 2 रकबा 2.902 हे0 कुल 7.329 हे0 आरक्षित वन भूमि में गेनाइट साइज्ड डाइमोन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षो की लीज पर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में	ललितपुर	7.329	8बी / यू0पी0 / 05 / 117 / 11 / एफसी	
4.	सतना–ग्वालियर पारेशण लाईन के निर्माण में (1) जनपद झांसी में 16.5935 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 4781 वृक्षों के पातन 2.0380 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 64 वृक्षों के पातन कुल 18.6315 हे0 वनभूमि एवं 4845 वृक्षों के पातन (2) जनपद महोबा में 9.1455 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं उस पर अवस्थित 380 वृक्षों के पातन 0.34 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन कुल 9.4855 हे0 वन भूमि व 384 वृक्षों के पातन दोनों जनपदों की कुल 28.117 हे0 वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 5229 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।	झांसी एवं महोबा	28.117	8बी / यू.पी. / 04 / 90 / 12 / एफ.सी.	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 12.10.12 द्वारा चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना साथ में अवश्य लायें।

5.	आगरा – इटावा मार्ग (एन0एच0–2) बाईपास के 4 से 6 लेन चौड़ीकरण हेतु आगरा में किमी0 199.660 से 218 तक 0.6238 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 719 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में किमी0 218 से 259.200 तक 27. 3009 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 3780 वृक्षों के पातन, जनपद मैनपुरी में किमी0 289.200 से 292.800 तक 0.04287हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 648 वृक्षों के पातन, तथा इटावा में किमी0 292.800 से 323.525 तक 2.97 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 733 वृक्षों के पातन कुल 31.3234 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 5880 वृक्षों के पातन की अनुमति।	आगरा / फिरोजाबाद / मैनपुरी / इटावा	31.3234	8बी / यू0पी0 / 06 / 105 / 12 / एफसी	

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य / अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में उपस्थित नही रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

भवदीय,

(वाई0के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)